FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) [illegible] मुकाम

रावतराम बनाम हेमाराम प्रजापत

किस्म मुकदमा रद्द आवेदन नं. 325/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/10/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवदयाराम विश्नोई ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/11/19 को पेश हो। [signature] 9/10/2019 सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]	
22/11/19	प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगणों के नोटिस जारी रजिस्टर्ड एडी भेजी गयी जिनकी एडी पुनः अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का उपखंड डिग्गार कार्य के कारण होने से पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 13/01/2020 को पेश हो / [initials]	
13/01/2020	[illegible stamp] 11/2/2020	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

11/2/2020 प्रार्थी स्वयं उप. / विप्रार्थीगण के [illegible]
में आदेश तामील हुए एक माह बीत जाने उपरान्त भी
लेकिन करीब एक माह (30 दिन) से अधिक समय
हो जाने से विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं
का लगातार अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के
विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है
प्रार्थी वकील की तरफ बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील
ने बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेत आपस
में लगते हुए हैं प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों
के बीच में बनी पुरानी मेड़ व कब्जे आदि की
की वजह से विवाद रहते तथा जमीन कटाव/बरसात
होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त को
लेकर विवाद रहता है तथा अपने खेत की
सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी
को अपने खेतों के मेड़ का सही ज्ञान करने के लिए
अपने खातेदारी खेतों की पक्की पैमाइश करवाना
आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइश आवेदन
स्वीकार किया जाकर, पैमाइश आदेश दिया जावे।

अतः प्रार्थी के अधिवक्ता के
निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार
किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व भू-
अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त
किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं
या सहायक कमिश्नर प्रार्थी के खातेदारी खेत की
पक्की पैमाइश मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा
करावें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज
रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
11.2.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

रा० आवेदन 325/19

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/2020	प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत पत्रावली तलब कर पालना रिपोर्ट पुख्ता करने बाबत का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई, तहसीलदार गिड़ा से नेखमबंदी पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की पालना रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु संख्या- H, G, S, R, Q, P, O, N, M, L, K को पुख्ता किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पालना रिपोर्ट को पुख्ता करने बाबत को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त पालना रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में दर्शाये गये बिन्दु संख्या- H, G, S, R, Q, P, O, N, M, L, K को पुख्ता किया जाता है। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 11/02/2020

/ वाद / 20.20/ 19

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
रावताराम पुत्र विरमाराम जाति जाट निवासी उदरमाणियों की ढाणी		हेमाराम पुत्र टीकुराम वगैरा निवासी उदरमाणियों की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 325/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमाणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 336 रकबा क्रमशः 61.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 11/02/2020

क्रमांक / वाद / 20.20/ 20 to 24

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री रावताराम पुत्र विरमाराम
4. विप्रार्थीगण हेमाराम पुत्र टीकुराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

(हस्ताक्षर) विवेक व्यास 11.2.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 18:21:39 IST
Reason: SelfAttested